

प्राधिकरण की दिनांक— 27-06-2001 को हुई पंचम बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त

मद सं०	मद	निर्णय																											
1-	चतुर्थ बोर्ड बैठक दिनांक—17-10-2000 की कार्यवाही की पुष्टि।	चतुर्थ बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।																											
2-	चतुर्थ बोर्ड बैठक दिनांक—17-10-2000 की अनुपालन आख्या।	अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।																											
3-	हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण हेतु वर्ष 2001-2002 का आय व्यय सम्बन्धी प्रस्ताव।	बजट 2001-2002 के लिए प्रस्तावित बजट अनुमोदित किया गया।																											
4-	भवन अनुज्ञा के लिए आवेदन पत्र पर अपील कर किये जाने वाले मानचित्र शुल्क को पुनरीक्षित करने के सम्बन्ध में।	प्रस्तावित मानचित्रों के लिए मानचित्र शुल्क निम्नवत होगा— (अ) आवासीय के लिए क्षेत्रफल (वर्ग मी०) प्रस्तावित(रु०) अनुमोदित(रु०) <table> <tbody> <tr> <td>0 — 60</td> <td>50</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>61 — 120</td> <td>100</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>121 — 180</td> <td>150</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>180 से अधिक</td> <td>300</td> <td>200</td> </tr> </tbody> </table> (ब) वाणिज्य के लिए क्षेत्रफल (वर्ग मी०) प्रस्तावित(रु०) अनुमोदित(रु०) <table> <tbody> <tr> <td>0 — 20</td> <td>300</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>21 — 50</td> <td>450</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>51 — 100</td> <td>600</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>( 100 वर्ग मी० से अधिक</td> <td>300</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>किन्तु प्रत्येक अतिरिक्त 50 वर्ग मी० या उसके भाग पर )</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	0 — 60	50	50	61 — 120	100	80	121 — 180	150	100	180 से अधिक	300	200	0 — 20	300	200	21 — 50	450	300	51 — 100	600	400	( 100 वर्ग मी० से अधिक	300	200	किन्तु प्रत्येक अतिरिक्त 50 वर्ग मी० या उसके भाग पर )		
0 — 60	50	50																											
61 — 120	100	80																											
121 — 180	150	100																											
180 से अधिक	300	200																											
0 — 20	300	200																											
21 — 50	450	300																											
51 — 100	600	400																											
( 100 वर्ग मी० से अधिक	300	200																											
किन्तु प्रत्येक अतिरिक्त 50 वर्ग मी० या उसके भाग पर )																													
5-	प्राधिकरण गठन से पूर्व निर्मित भवनों के सम्बन्ध में।	विस्तृत विवरण को इकित करते हुए हापुड़ की समस्या के दीर्घकालीन निवारण के लिए शासन से स्वैच्छिक शमन योजना तीन माह लागू करने का अनुरोध किया जाए। स्वीकार किया गया।																											
6-	औद्योगिक सामुदायिक सुविधाओं व चेरिटेबिल संस्थाओं आदि के सम्बन्ध में भवन मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में विकास शुल्क तिए जाने विषयक।	उपाध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित पॉचो योजनाओं की प्रगति से बोर्ड को आजाद पुर फल एवं सब्जी मण्डी दिल्ली हापुड़ में शिफ्ट नहीं हो रही है। फल																											
7-	हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण को प्रस्तावित उपाध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित पॉचो योजनाओं की प्रगति से बोर्ड को आजाद पुर फल एवं सब्जी मण्डी दिल्ली हापुड़ में शिफ्ट नहीं हो रही है। फल																												

एवं सब्जी मण्डी की योजना जिस स्थल पर प्रस्तावित है वह स्थल बाइपास की स्थिति को देखते हुए आवासीय योजना के लिए अधिक उपयुक्त होगा। हापुड़ में कृषि मण्डी में अभी भी काफी स्थान रिक्त हैं इसलिए नई फल एवं सब्जी मण्डी के चलने की संभावना कम है। इसका भू-उपयोग आवासीय करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए।

प्राधिकरण पर बढ़ते ब्याज को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि शीघ्र अति शीघ्र आवासीय एवं नीड बेर्स्ड योजना का वास्तविक आंकलन को प्रीत विहार आबासीय योजना एवं फल एवं सब्जी मण्डी योजना को आवासीय रूप में कियान्वित किया जाए। बस स्टैण्ड योजना को शासन द्वारा समाप्त कर दिया जाए। द्रान्सपोर्ट नगर योजना के विषय में आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएं तथा आनन्द विहार योजना के लिए जिला-धिकारी गाजियाबाद से शीघ्र कार्यवाही करने का अनुरोध किया जाए। सभी योजनाओं का पुनः आंकलन कर शीघ्र कार्यवाही की जाए तथा आवश्यकतानुसार इ०पी०आर्ड० से वाइविल्टी की स्टडी की जाए।

- 8— हापुड़—पिलखुवा विकास प्राधिकरण को इन्फास्ट्रक्चर एकाउन्ट खोले जाने से दिनांक—31-3-2003 तक और मुक्त रखे जाने के सम्बन्ध में।
- 9— उपाध्यक्ष—एच०पी०डी०ए० को हापुड़ महा-योजना—2005 में मानचित्र स्वीकृत / कम्पाउन्ड किए जाने के सम्बन्ध में अधिकार विषयक।
- 10— प्राधिकरण कार्यालय स्थानान्तरण विषयक।
- 11— भवन उपविधि में 200 वर्ग मीटर तक के भूखण्डों के सैट बैंक के बारे में।

अन्तिम बार दिनांक—31-3-2002 तक एकाउन्ट खोलने से मुक्त किया गया तदनुसार शासन से अनुरोध किया जाए।

शासन के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि शासन स्तर से दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं तदनुसार कार्यवाही की जाए।

प्रस्ताव निरस्त किया गया।

शासन द्वारा निर्धारित है, वही एडोप्ट की जाए।

- 12— डेरी फार्म हेतु मानचित्र स्वीकृत के मानकों के निधारण का प्रस्ताव।
- 13— हापुड़ क्षेत्र में छवि गृह के मानचित्र की स्वीकृति विषयक।
- 14— रेलवे रोड-हापुड़ में शोपिंग सेन्टर के मानचित्र की स्वीकृति विषयक।
- 15— मै० सैन्यूरी लेमिनेटिंग कं०— हापुड़ द्वारा स्थापित फैक्ट्री की भूमि एवं विस्तारीकरण हेतु क्य की गयी १.६ हैक्टेयर भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन किए जाने के सम्बन्ध में।
- अतिरिक्त मदः—
- 1— मै० सैन्यूरी लेमिनेटिंग कं० को मानचित्र स्वीकृति एवं भूमि दिए जाने विषयक।
- शासन द्वारा निर्धारित हैं, वही एडोप्ट की जाए।
- स्वीकृत किया गया।
- निम्नलिखित अधिकारियों की एक समिति गठित की जाती है जो कि अध्यक्ष महोदय के समक्ष सभी बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक अनुशंसा करेगी।
- 1— श्री वेद मित्तल  
मुख्य वास्तुविद  
एवं नगर नियोजक  
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,  
गाजियाबाद।
- 2— श्री एस०के० जमान  
मुख्य समन्वय नियोजक,  
एन०सी०आर० सैल,  
गाजियाबाद।
- 3— श्री राधेश्याम शर्मा  
अधिशासी अभियन्ता  
एच०पी०डी०ए०, हापुड़।
- अतिरिक्त मद सं० -१ के अनुसार कार्य-वाही की जाए।
- 1— प्रीत विहार योजना में भूमि उपलब्ध होने पर २.५ एकड़ भूमि फैक्ट्री के तीनों तरफ मै० सैन्यूरी लेमिनेटिंग कं० के लिए आरक्षित की जाती है जिसका आवंटन नियमानुसार दरों पर उपाध्यक्ष द्वारा किया जाए।
- 2— मै० सैन्यूरी लेमिनेटिंग कं० द्वारा १.८ हैक्टेयर भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन औद्योगिक करना

स्वीकार किया गया जिसके लिए कं० को भू-उपयोग परिवर्तन धनराशि जमा करानी होगी एवं शेष कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण की जाए।

3— मै० सैन्यूरी लेमिनेटिंग कं० द्वारा नई भूमि खरीदे जाने पर बिन्दु-२ की भाँति औद्योगिक कर दिया जाए।

2— शासनादेश सं०-३००२/९-आ-१-२९-- विविध/९८ लखनऊ दिनांक-८जून, २००१ के क्रम में विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, २००० में आवश्यक परिष्कार।

3— मै० सैन्यूरी लेमिनेटिंग कं०, हापुड़ के मानचित्र की कम्पाउन्डिंग/स्वीकृत किए जाने इतु उ० प्र० शासन आवास अनुभाग-३ के कार्यालय आदेश सं०-२७५१/९-आ-७.३.२००१-२६४ काम्प/२००० दिनांक-२६-६-२००१ द्वारा गठित समिति की दिनांक-२५ एवं २६ जून-२००१ को विकास प्राधिकरण कार्यालय, गाजियाबाद में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

4— श्री श्याम सिंह यादव सचिव को उनके बच्चों की चिकित्सा पर हुए व्यय का भुगतान।

( काशी राम ) ३१/६/२००१  
उपाध्यक्ष  
एच०पी०डी०ए०  
हापुड़।

अंगीकृत किया गया।

मै० सैन्यूरी लेमिनेटिंग कं० के लिए शासन द्वारा गठित समिति की अनुशंसा अवलोकित की गयी तथा जैसा कि मद सं०-१ में प्रस्ताव रखा गया है कि भविष्य में मै० सैन्यूरी लेमिनेटिंग कं० द्वारा फैक्ट्री के तीनों तरफ भूमि क्य की जायेगी, जिससे कि वह अपने सेट बैक्स समायोजित कर सकें। शासन को सूचनार्थ भेजा जाए।

शासनादेश के अनुसार ही देय अनुमन्य होगा।

अनुमोदित  
( दीपक सिंघल ) ६/८/११  
अध्यक्ष/आयुक्त  
मेरठ मण्डल, मेरठ।